बिहार सरकार

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256
E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय–आदेश

संख्या– 73 पटना, दिनांक–02/06/2022

सूचना

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSEIDC), शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् कैंपस, आचार्य शिवपूजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना–800004 के अंतर्गत सभी श्रेणियों में निबंधित संवेदक अथवा निगम की निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाकारों के लिए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2012 लागू थी। इस सूचना के माध्यम से सभी संबंधित संवेदकों को सूचित किया जाता है कि निगम के निदेशक पर्षद की 41 वीं बैठक के निर्णयानुसार बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम में प्रख्यापित ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2012 के शर्तो में निम्नलिखित दंड प्रावधानों को लागू किया गया है जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

क्र० सं०	कदाचार	कालीकरण की अवधि
1.	एकराननामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक	
	(A) कार्य एकरारनामा को RESCIND किये जाने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
	(B) किये गये कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक रहने एवं कार्य एकरारनामा को RESCIND किये जाने पर।	पन्द्रह वर्षो के लिए कालीकृत
	(C) एकरारनामा के एक से अधिक शर्तो का उल्लंघन तथा इस संबंध में सूचना एवं चेतावनी देने के बावजूद भी अपेक्षित सुधार नहीं लाने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
	(D) संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अंतरित अथवा चालू विपत्र में FRAUD पाये जाने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
	(E) DEFECT LIABILITY PERIOD (DLP) में निर्मित योजनाओं का विहित संधारण नहीं किये जाने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
2.	संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिए।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
3.	ठीकेदार द्वारा सरकारी समान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
4.	ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
5.	एक से अधिक बार कार्य आंवटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
6.	किसी अपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता होने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत अथवा न्यायालय द्वारा संसूचित सजा की अवधि जो अधिक हो।
7.	ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश क सौंपने पर (सबलेटिंग)।	पाँच वर्षो के लिए कालीकृत
8.	पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–4104 (ई०) दिनांक–28.10.2009 की उत्तरवर्ती कंडिका के आलोक में यथा प्रावधानित एक से अधिक उपबंधित कदाचारों में सलिप्त पाये जाने पर।	पन्द्रह वर्षो के लिए कालीकृत

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना, के ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के अन्य शर्ते यथावत रहेंगे।

ह०/–
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक– BSEIDC/TECH/997/2022 - 5178 पटना, दिनांक– 02/06/2022

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/सभी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री अजय कुमार कार्यपालक अभियंता मुख्यालय को सभी संवेदकों को E-Mail के माध्यम से सूचना हेतु सूचनार्थ प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित। SBD के Clause में सम्मलित करने/निविदा का Part बनाने हेतु श्री मनोज रंजन सहायक अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित।

2/6/22

प्रबंध निदेशक